न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/41/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/194
एवं
अपील संख्या 12/42/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/195

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री राजेश शर्मा, नि0 23, फ्रैण्डस कॉलोनी, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 13.01.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नगर परिषद, अलवर के पत्रांकः 10719 दिनांकः 10.12.2021 के अनुसरण में प्रार्थी की मूल पट्टा पत्रावली के संबंध में न्यास द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 01 लगायत 03 बिन्दुओं पर सूचना/दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।
5. **प्रश्नगत सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक ही विषय/सूचना आवेदन के संबध में 02 अपीलें न्यायालय में पेश की गई हैं। अतएव दोनों समान प्रकरणों को एकसाथ नत्थीबद्ध कर सुनवाई की गई है।**
5. उक्त प्रथम अपीलों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 13.01.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
10. **अपील संख्या 12/41/2022 के साथ अपील संख्या 12/42/2022 नत्थीबद्ध कर जमा रिकॉर्ड लेख भण्डार की जावे।**

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)